भारतीय जनसंघ

प्रतिवेदन

भारतीय प्रतिनिधि सभा अधिवेशन
इन्दौर (म० प्र०)
७-८ सितम्बर, १९६८

भारतीय प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन ७, ८ सितम्बर, १९६८ को मध्य प्रदेश की उसी इन्दौर नगरी में हुआ जहां चौदह वर्ष पूर्व २१ अगस्त, १९५४ में हुआ था। अधिवेशन के संयोजन, प्रतिनिधियों की संख्या एवं अधिवेशन की कार्यवाही स्पष्ट थी कि इन चौदह वर्षों में जनसंघ बहुत आगे बढ़ा है। स्थानीय दैनिक पत्रों ने भी इस विषय की चर्चा की। उस समय मध्य भारत विधान सभा में जनसंघ के केवल दो सदस्य थे और अब जनसंघ प्रदेश के शासन में प्रमुख भागीदार है। इस प्रगति की अनुभूति से तीव्र अभाव की एक छाया प्रतिनिधियों के हृदय में थी। वह थी दल के मार्गदर्शक और प्रेरक स्वर्गीय पं० दीनदयाल उपाध्याय की अनुपस्थिति। फिर भी कार्यकर्ता निराश नहीं थे। उनमें श्री उपाध्याय के अभाव की पूर्ति कर उनके स्वप्नों को साकार करने का संकल्प दृष्टिगत था।

ठीक दस बजे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी रवीन्द्र नाट्य गृह के विशाल कक्ष में पधारे। प्रतिनिधियों ने खड़े होकर अभिवादन किया। मंच पर गांधी और डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी तथा गांधी और श्री दीनदयाल उपाध्याय के बड़े चित्र प्रतिनिधियों को दृढ़ता से आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान कर रहे थे। मंच के मध्य में पीछे की ओर दीपांकित केसरिया ध्वज धवल वस्त्र पर सुशोभित था। मंच पर अध्यक्ष के साथ भारतीय कार्यसमिति के सदस्य तथा प्रदेशों के अध्यक्ष व मन्त्री विराजमान थे।

'वन्दे मातरम्' गान के बाद भारतीय जनसंघ के प्रधान श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा की कि कार्यक्रम का आरम्भ श्रद्धांजलि अर्पण से होगा। महामन्त्री श्री सुन्दर सिंह भण्डारी ने श्रद्धांजलि प्रस्ताव प्रस्तुत किया। दिवंगत नेता पं० दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। प्रतिनिधियों ने खड़े होकर अपने नेता को मौन श्रद्धांजलि अर्पित की। तत्पश्चात् श्री भण्डारी ने दूसरा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें देश की उन महान विभूतियों के प्रति शोकांजलि अर्पित की गयी जो इस वर्ष दिवंगत हुईं।

सभी प्रतिनिधियों के मन-मस्तिष्क पर पं० दीनदयाल उपाध्याय के अभाव से दुःखद छाया उनके चेहरों से परिलक्षित हो रही थी। प्रधान श्री अटल

बिहारी वाजपेयी के प्रारम्भिक भाषण में भी गहरा दुःख झलक रहा था। उन्होंने कहा कि "मेरे लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि आज इस अधिवेशन की कार्यवाही का संचालन मुझे करना पड़ रहा है। क्रूर कालचक्र ने हमसे हमारा सखा और नेता पं० दीनदयाल उपाध्याय छीन लिया। यदि आज वह जीवित होते तो मुझे यह कार्य न करना पड़ता। श्री दीनदयाल उपाध्याय हमारे बीच नहीं रहे, परन्तु उनका शेष काम हम सभी को पूरा करना है। मैंने भारतीय कार्यसमिति का निर्णय इसलिए स्वीकार किया कि उसमें अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का आदेश निहित था। वस्तुतः जनसंघ ने अपने प्रारम्भ से ही सामूहिक चिन्तन को महत्व दिया है। हमें आज भी उसी मार्ग का अनुसरण करना है।"

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति : प्रस्तावक : श्री बलराज मधोक, सदस्य लोकसभा

अध्यक्ष के इस संक्षिप्त भाषण के बाद मंच संचालक श्री यज्ञदत्त शर्मा ने भारतीय जनसंघ के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री बलराज मधोक से अनुरोध किया कि वह अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर कार्यसमिति द्वारा पारित प्रस्ताव प्रस्तुत करें। श्री मधोक ने कहा कि आज देश के सामने अनेक समस्याएं और प्रश्न हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देश की एकता, अखण्डता एवं स्वतन्त्रता को बनाये रखने का है। चारों ओर से अन्धकार के भयावह बादल छाते दिखाई दे रहे हैं। कभी-कभी तो राष्ट्र का अस्तित्व ही खतरे में पड़ा नजर आने लगता है। इस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

इस संदर्भ में ही हमें अपनी विदेश नीति एवं सुरक्षा नीति पर विचार करना होगा। गत २०-२१ वर्षों में भारत की विदेश नीति का आधार सुरक्षा नहीं रहा। परिणामतः देश की ५० हजार वर्गमील भूमि शत्रु के हाथों में चली गयी तथा अब भी प्रतिदिन आक्रमण का खतरा बना हुआ है।

इसका ही परिणाम है कि विश्व का कोई भी देश भारत की चिन्ता नहीं करता। प्रत्येक देश अपने हित साधनानुकूल विदेश नीति बनाता और कार्यान्वित कर रहा है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो नारों के चक्कर में अपने राष्ट्रीय हितों की चिन्ता न कर अपनी विदेश नीति का उद्घोष करता रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय जगत में हाल ही में दो ऐसी घटनायें हुई हैं। इनमें सबसे पहली घटना रूस द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र देने का निश्चय है। भारत

सरकार के नेता कहते हैं कि दोनों देश (रूस व पाकिस्तान) स्वतन्त्र हैं। उन्हें स्वतन्त्र रूप से कोई भी समझौता करने का अधिकार है। यह बात सही है कि दो स्वतन्त्र देशों की नीति-निर्धारण पर हमें रोष करने की आवश्यकता नहीं, परन्तु उनकी नीति का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

इस पर हमको विचार करने के लिए रूसी नीति में हुए परिवर्तन को देखना होगा। रूस की नीति में यह कोई अचानक आया हुआ मोड़ नहीं। यह उसी नीति के क्रियान्वयन की ओर उठाया हुआ एक कदम है जो तानाशाह ज़ार के शासन काल से चली आ रही है। साम्राज्यवादी कम्युनिस्ट शासन ने केवल उसे नया रूप दिया है। रूस से लगे सभी समुद्र वर्ष के अधिकांश समय में बर्फ से ढंके रहते हैं। इसलिए सोवियत संघ सदा खुले सागर तट तक पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहा। काबुल तक रूस द्वारा निर्मित सड़क भी उसी शृंखला की एक कड़ी है। यह सड़क हिन्दू कुश के नीचे से बनाई गई है। कुछ अवधि तक रूस ने अपनी इस नीति का क्रियान्वयन तनिक ढीला किया हुआ था। परन्तु अब ब्रिटेन के हिन्द महासागर से हट जाने तथा वियतनाम में अमरीका की दुर्बल स्थिति देखने के बाद रूस ने खुले समुद्र की ओर बढ़ने की अपनी प्रक्रिया तेजी से शुरू कर दी है।

१९६५ में पाकिस्तानी आक्रमण के विरुद्ध भारतीय सेना की वीरता और क्षमता से ही रूस तथा अन्य साम्राज्यवादी देशों की विचार दिशा में अन्तर आया। वह भारत को बड़ी शक्ति के रूप में विकसित हुआ देखना नहीं चाहते। अतः इन्होंने भारत पर दबाव डालना शुरू किया। रूस ने पाकिस्तान के पक्ष से भारत पर सर्वाधिक दबाव डाला। भारत सरकार के नेता इस भ्रम में रहे कि रूसी नेता उनके हितैषी हैं जबकि स्थिति इसके विपरीत थी। रूसी नेताओं के इस दबाव का परिणाम उस ताशकन्द घोषणा में निकला जो भारतीय हितों के विरुद्ध थी।

दूसरी ओर पाकिस्तान ने अमरीका, ईरान, सऊदी अरब आदि देशों के साथ-साथ कम्युनिस्ट चीन से भी सैन्य सामग्री ली। अपनी सेना की संख्या बढ़ाई और उसे आधुनिकतम शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित किया। इस प्रकार पाकिस्तान ने अपनी सैनिक शक्ति पहले से ही काफी बढ़ा ली थी। अब रूसी शस्त्रास्त्र प्राप्त होने से पाकिस्तान की शक्ति अधिक बढ़ जायेगी। यह सीधे रूप में भारत की सुरक्षा के लिए संकट है।

कुछ लोगों का कहना है कि रूस की इस घोषणा से पाकिस्तान चीन से

दूर हटेगा और रूस के निकट आयेगा। श्री मसोक ने कहा कि मेरा अनुमान है कि रूस यह चीन की सहमति से ही कर रहा है। यद्यपि इसके रूस का मित्र बनने या न बनने से भारत का कोई हित नहीं। इससे पाकिस्तान चीन से दूर नहीं होगा बल्कि और निकट आयेगा।

भारत को अपनी विदेश नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। विदेश नीति और सुरक्षा नीति परस्पर अवलम्बी हैं। दोनों का मेल बैठाया जाना चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हाल ही में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई है जिस पर राष्ट्रवादी और जनतन्त्र समर्थक सभी देशों को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। विश्व के साम्यवादी देशों में स्वतन्त्रता एवं जनतन्त्र की लहर आ रही है। परन्तु स्वतन्त्रता विरोधी साम्राज्यवादी शक्तियां एवं तानाशाही देश इस प्रवृत्ति को पनपने नहीं देना चाहते। चेकोस्लोवाकिया की इस घटना से स्पष्ट है कि बड़ी शक्तियों ने अपने-अपने प्रभाव क्षेत्रों का बंटवारा कर लिया है। हमारी राय में यदि कोई देश स्वेच्छया साम्यवादी या पूंजीवादी व्यवस्था अपनाना चाहता हो तो वह ऐसा कर सकता है। इच्छा के विपरीत किसी देश पर कोई व्यवस्था लादने का प्रयास नहीं किया जा सकता। सोवियत संघ की तरह चेकोस्लोवाकिया में भी कम्युनिस्ट शासन है। वहां के नेताओं ने देश की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करने चाहे। रूस को चेकोस्लोवाकिया के नेताओं के ये कदम पसन्द नहीं आये। उसने वारसा सन्धि के चार अन्य देशों के साथ मिलकर २० अगस्त को चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर दिया।

रूस के इस नग्न आक्रमण की भारत सरकार ने निन्दा नहीं की। भारत के कम्युनिस्टों ने उसका समर्थन किया। अमरीका व ब्रिटेन ने भी कोई ठोस रूप से रूस के इस दुष्कृत्य का विरोध नहीं किया। इससे यह बात फिर सिद्ध हो गई है कि किसी संकट के समय में अमरीका की सहायता पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

अमरीका ने भारत को आश्वासन दिया था कि उसके द्वारा पाकिस्तान को दिए गए शस्त्रास्त्र भारत के विरुद्ध प्रयोग नहीं होंगे, परन्तु हमने १९६५ में देखा कि अमरीकी पैटन टैंकों का पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध प्रयोग किया। रूसी हथियारों का प्रयोग भी पाकिस्तान हमारे विरुद्ध करेगा और रूस उसे नहीं रोक सकेगा। अतः हमारी रक्षा किसी का आश्वासन या अणु छतरी नहीं करेगी बल्कि हमें अपनी शक्ति पर निर्भर करना होगा। सैन्य शक्ति बढ़ाने के साथ-साथ भारत को अणु-बम भी बनाना चाहिए, जिससे

चीन तथा पाकिस्तान जैसे शत्रु आक्रमण का विचार भी न कर सकें।

समर्थक : श्री पी० परमेश्वरन

जनसंघ के अखिल भारतीय मंत्री श्री पी० परमेश्वरन ने प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यद्यपि भारत सरकार इस बात को नहीं मानती कि रूसी नीति में परिवर्तन आया परन्तु श्री ख्रुश्चेव के प्रधानमंत्री काल से आज की स्थिति पूर्णतः भिन्न है। श्री ख्रुश्चेव की यह घोषणा कि—काश्मीर के मसले पर आवश्यकता पड़े तो हिमालय पर खड़े होकर हमें आवाज दें तो रूस भारत की सहायता के लिए आ जायेगा—अब कहां है? रूस में स्टालिनवाद पुनः प्रभावी होता जा रहा है। श्री ख्रुश्चेव ने जो उदार नीति अपनाने की कोशिश की थी वह समाप्त की जा रही है। श्री परमेश्वरन ने हाल ही में चेकोस्लोवाकिया के एक समाचार पत्र में प्रकाशित एक व्यंग्य चित्र का वर्णन किया जिसमें रूसी सैनिक बन्दूक ताने खड़े चैकोस्लोवाकिया के मजदूरों से कह रहे हैं कि या तो एक होकर रूस का नेतृत्व स्वीकार करें अन्यथा जेल में बन्द कर दिये जायेंगे।

भारत के कम्युनिस्ट रूस की इस नीति का समर्थन करते हैं। केरल के कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री श्री ई० एम० एस० नम्बूदरीपाद के कथनानुसार चेकोस्लोवाकिया पर रूसी आक्रमण साम्यवाद की रक्षार्थ उचित कार्यवाही थी।

अनुमोदक : श्री रमेश कुमार मिश्र

इसके बाद अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के प्रस्ताव का अनुमोदन असम प्रदेश के मंत्री श्री रमेश कुमार मिश्र ने किया। उन्होंने कहा कि असम व बंगाल में विदेशी एजेंटों के अड्डे बढ़ते जा रहे हैं। दपुली (नेफा) से प्राप्त समाचारों के अनुसार किसी भी समय चीनी आक्रमण की आशंका है।

अनुमोदक : श्री बलदेव सिंह

प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए भारतीय जनसंघ के जम्मू व कश्मीर प्रदेश के प्रधान श्री बलदेव सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को शस्त्र देने की रूस की घोषणा ने कश्मीर में देशद्रोही तत्वों को प्रोत्साहन दिया है।

स्वीकृत संशोधन

इसके बाद अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव में संशोधनों पर विचार

प्रारम्भ हुआ। श्रीमती मालती बाई परांजपे (महाराष्ट्र) का यह संशोधन भी स्वीकार कर लिया गया कि सुरक्षा परिषद् में चेकोस्लोवाकिया पर रूसी आक्रमण की निन्दा सम्बन्धी प्रस्ताव पर भारतीय प्रतिनिधि के तटस्थ रहने की नीति की भी निन्दा की जाय। श्री देवदास आप्टे (महाराष्ट्र) का यह संशोधन भी स्वीकार कर लिया गया कि हिन्दी के मूल प्रस्ताव में जहां विदेश नीति के लिए विदेश मंत्रालय के कर्तावर्ता तथा कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया है वहां से 'कर्मचारी' शब्द हटा दिया जाय।

वापस हुए संशोधन

यद्यपि इन संशोधनों के अतिरिक्त कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया गया और सभी संशोधन वापस ले लिए गये, परन्तु संशोधन प्रस्तुत करने वाले प्रतिनिधियों ने महत्वपूर्ण बातें रखीं।

श्री विष्णु घनश्याम देशपाण्डे, सदस्य विधान परिषद् (महाराष्ट्र) ने चेकोस्लोवाकिया पर रूस के आक्रमण के सम्बन्ध में प्रस्ताव की मूल भावना से पूर्णतया सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि नीतिवश हमें रूसी आक्रमण की आलोचना नहीं करनी चाहिए। इससे भारत का सीधा सम्बन्ध नहीं। श्री निरंजन वर्मा, राज्य सभा सदस्य ने भी इसी आशय का संशोधन रखा। श्री ओम-प्रकाश त्यागी (उत्तर प्रदेश) ने संशोधन रखा कि विदेश नीति का आधार राष्ट्रहित के साथ मानवहित भी होना चाहिए। श्री रमेशनन्दन प्रसाद (बिहार) ने कहा कि भारत को पाकिस्तान व चीन दोनों से खतरा है। इसलिए पश्चिम एशिया पर विचार करते समय हमें दक्षिण-पूर्व एशिया की स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए और फारमोसा का उल्लेख भी जोड़ा जाये। श्री राधेश्याम मिश्र (उत्तर प्रदेश) ने कहा कि रूस की मित्रता से भी चीन की पोल खुल गई है। अब हमें ताशकंद घोषणा को रद्द कर देना चाहिए। तिब्बत को स्वतंत्र कराने का भी उल्लेख किया जाय। मेजर रणजीत सिंह, लोकसभा सदस्य (उत्तर प्रदेश) ने विस्तार से देश की सुरक्षा स्थिति पर प्रकाश डाला। आपने सुझाव दिया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों को बसाया जाय तथा इन्हें ऐसे विध्वंसक अस्त्रों से सुसज्जित किया जाय ताकि वे समय पर शत्रु के आक्रमण को नाकामयाब कर सकें। उन्होंने यह भी मांग की कि संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति नियुक्त हो जो प्रतिरक्षा के मामलों पर सरकार को परामर्श देती रहे। श्री निरंजन वर्मा (मध्यप्रदेश) ने कहा कि प्रस्ताव में आये 'निन्दनीय व शोचनीय'

शब्दों की आवश्यकता नहीं। जब तक हम समर्थ राष्ट्र के रूप में न खड़े हों तब तक विदेश के बारे में हमें कुछ नहीं कहना चाहिए।

प्रस्तुत संशोधनों का उत्तर देते हुए प्रो० मधोक ने कहा कि वह श्री देशपांडे और श्री निरंजन वर्मा के इस सुझाव से सहमत नहीं हैं कि प्रस्ताव में रूस की आलोचना न की जाय। आपने कहा कि पाकिस्तान तथा पूर्वी यूरोप के विषय में रूस के बदलते हुए रवैये को भारत आंख ओझल नहीं कर सकता। भारत ने रूसी नीति के अपने आकलन के आधार पर अपनी नीति बनाई थी। यह अनुमान पूर्णतः अशुद्ध सिद्ध हो चुके हैं। साथ ही आज दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि युद्ध और शान्ति तथा छोटे देशों की स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता के हनन के सम्बन्ध में कोई देश तटस्थ नहीं रह सकता। भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए भी इन विषयों पर सचेत रहना आवश्यक है। आपने कहा कि मित्र के नाते ही हमारा कर्तव्य है कि हम रूस की गलत कार्यवाही की आलोचना करें। आलोचना से भारत और रूस के मैत्री सम्बन्धों में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। श्री देशपांडे और श्री वर्मा ने अपने संशोधन वापिस ले लिए।

श्री मधोक ने मेजर रणजीत सिंह के सुझावों के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा कि उनको इस प्रस्ताव में समाविष्ट करना उचित नहीं होगा। आवश्यक समझा जाय तो अलग प्रस्ताव करना ठीक होगा। मेजर रणजीत सिंह ने भी अपना संशोधन वापिस ले लिया।

बाढ़ व सूखा : प्रस्तावक : डा० महावीर

भारतीय जनसंघ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष डा० महावीर ने देश में बाढ़ व सूखे पर प्रस्ताव रखा। आपने कहा कि गत १५-१६ वर्षों से देश में संयोजित विकास कार्यक्रम चल रहा है। एक के बाद दूसरी योजना आती रही है। तीन पंचवर्षीय योजनाएं पूरी होने के बाद चौथी योजना की तैयारी हो रही है। योजना काल में पांच करोड़ रुपया प्रतिदिन व्यय होने के बाद भी देश का किसान इन्द्र देवता की कृपा पर निर्भर कर रहा है। विडम्बना है कि बाढ़ की रोकथाम और सिंचाई योजनाओं पर विपुल धनराशि व्यय करने के पश्चात् भी देश सूखे और बाढ़ दोनों से एक साथ पीड़ित है।

योजना काल में देश की वन सम्पदा बेहिसाब नष्ट हुई है जिससे वर्षा की मात्रा और क्रम बिगड़ गया है। इसके साथ-साथ सड़क व रेल मार्गों के अवैज्ञानिक निर्माण से जल-प्रवाह के रास्ते रुकते हैं, जिससे बाढ़ों में बढ़ोतरी हुई है।

आपने सुझाव दिया कि सम्पूर्ण देश का सर्वे किया जाना चाहिए। उसके आधार पर बाढ़ रोकने और पानी के साधनों के पूरे उपयोग की समन्वित योजनाएँ तैयार की जानी चाहिए।

समर्थक : श्री सूर्यप्रकाश रेड्डी (आंध्र प्रदेश)

प्रस्ताव का समर्थन आंध्र प्रदेश जनसंघ के प्रधान श्री सूर्यप्रकाश रेड्डी ने किया। उन्होंने तेलुगु भाषा में भाषण करते हुए बताया कि आन्ध्र प्रदेश में दो वर्ष पहले एक आयोग नियुक्त किया गया था। उसकी सिफारिशों के आधार पर दो अरब रुपया भी खर्च हुआ, परन्तु विशेष लाभ नहीं हुआ। आन्ध्र के २० जिलों में से १७ जिले सूखाग्रस्त हैं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (राजस्थान) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सूखा की शिकायत तो पहले भी रही है, परन्तु योजनाओं के गलत क्रियान्वयन का परिणाम यह है कि राजस्थान जैसे प्रदेश में भी इस वर्ष बाढ़ ने काफी क्षेत्र में तबाही मचाई है।

दूसरी ओर राजस्थान में भयंकर सूखा पड़ रहा है। प्रदेश का बड़ा भाग अकालग्रस्त है। अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए १८५० में जो संहिता बनी थी वही आज भी लागू है। वह पुरानी पड़ चुकी है। उसे समयानुकूल बदला जाना चाहिए।

गुजरात के संगठन मंत्री श्री नाथाभाई झगड़ा ने अपने प्रदेश के चार जिलों में बाढ़ की हुई विनाश लीला का वर्णन किया और कहा कि वहां बाढ़ से ४०० मनुष्य और ४० हजार पशु मर चुके हैं। हालत इतनी खराब हुई है कि नमक भी एक रुपये से तीन रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिका है।

स्वीकृत संशोधन

प्रस्ताव में हरियाणा विधान सभा के सदस्य डा० मंगलसेन तथा श्री भगवान देव शर्मा के संशोधन स्वीकार कर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के वर्णन में हरियाणा का नाम जोड़ा गया तथा बाढ़ के कारणों में गलत नहरबन्दी का भी उल्लेख किया गया। महाराष्ट्र की श्रीमती मालती बाई दांडेकर तथा दिल्ली की श्रीमती पुष्पा काले का यह संशोधन भी स्वीकार किया गया कि जिन अधिकारियों ने बाढ़ की सूचना मिलने पर भी समय से ठीक कार्यवाही नहीं की उन्हें दण्डित किया जाय। निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किए गए :

(१) खड़े पानी को पाइपों के द्वारा निकालने की व्यवस्था की जाय ताकि

रबी फसल की बुवाई की जा सके।

(२) पानी के कारण प्रभावी क्षेत्रों में जिन कारखानों की मशीनें खराब हो गयी हैं तथा कच्चा माल नष्ट हो गया है, वहां मशीनों व माल सम्बन्धी प्रकार की सहायता देकर उन्हें चालू करवाया जाय।

(३) सभी बाढ़ तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशु धन की रक्षा के लिए चारे की व्यवस्था की जाय। मालिया व आबियाना तुरन्त माफ किया जाय तथा सभी प्रकार के सरकारी कर्जों की वसूली रोक दी जाय। साथ ही लोगों को काम देने के लिए नहरों, सड़कों का निर्माण, तालाब-जोहड़ों की सफाई, खुदाई आदि सार्वजनिक कार्य अविलम्ब शुरू किए जायें।

(४) जहां सूचना मिलने के पश्चात भी स्थानीय अधिकारियों की ओर से समय पर आवश्यक कार्यवाही न करने के कारण हानि हुई है, वहां ऐसी लापरवाही करने वालों के विरुद्ध जांच करके उन्हें दण्डित किया जाय।

खुला अधिवेशन

७ सितम्बर की सायंकाल खुला अधिवेशन हुआ। देखते-देखते रवीन्द्र नाट्य गृह का सभाकक्ष खचाखच भर गया। मंच पर अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ अन्य नेता विराजमान थे। स्वागताध्यक्ष श्री [illegible] गांधी ने अध्यक्ष श्री वाजपेयी का स्वागत किया तथा अपने भाषण में देश की राजनीतिक स्थिति का विवेचन करते हुए उन्होंने जनसंघ के प्रतिनिधियों को स्मरण कराया कि १४ वर्ष बाद फिर से इन्दौर नगर में प्रतिनिधि सभा की बैठक देश की परिस्थिति पर विचार करने हेतु हो रही है। उन्होंने विश्वास प्रकट किया। कि पूर्व की भांति यह सम्मेलन भी समस्याओं के प्रति अपने निर्णयों से देश को सम्यक दिशा प्रदान करेगा।

स्वागताध्यक्ष के बाद भारतीय जनसंघ के प्रधान श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना अध्यक्षीय भाषण पढ़ा।

दूसरा दिन : ८ सितम्बर, १९६८

दूसरे दिन की कार्यवाही राजनीतिक स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव से आरम्भ हुई। प्रस्ताव में कहा गया था कि फरवरी, १९६७ के आम चुनाव में जनता ने कांग्रेस को अमान्य किया था। यह एक प्रकार नकारात्मक पक्ष था। इस बार १९६९ की फरवरी जनसंघ के लिए जनता के पूर्ण समर्थन का लक्षण सिद्ध होगी।

राजनीतिक स्थिति : प्रस्तावक : श्री पीताम्बर दास

यह प्रस्ताव भारतीय जनसंघ के उपाध्यक्ष श्री पीताम्बर दास ने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि गत चतुर्थ महानिर्वाचन के परिणामस्वरूप छः राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें बनीं। उसके कुछ बाद तीन और राज्य उसी क्रम में आ गये। इस प्रकार कुल नौ राज्यों में गैर-कांग्रेसी शासन स्थापित हुआ जिसमें दिल्ली तथा तमिलनाडु ऐसे दो प्रदेश थे जहां क्रमशः जनसंघ और डी० एम० के० को बहुमत प्राप्त हुआ। अन्य राज्यों में अनेक दलों की मिली-जुली सरकारें बनीं।

इस प्रकार देश में कांग्रेस का २० वर्ष का शासन समाप्त हो गया। केन्द्र में उसकी सत्ता बनी रही। स्थिति अनेक कठिनाइयों से भरी सिद्ध हुई। मिलीजुली सरकार चलना वैसे ही कठिन बात थी। इस पर केन्द्र में बैठी कांग्रेस ने उनके मार्ग में और बाधाएं डालनी प्रारम्भ कीं।

यह सरकारें खिचड़ी सरकारें थीं। उत्तरप्रदेश में आठ पैर बांधी लंगड़ी दौड़ जैसा खेल था। ऐसी दौड़ अत्यन्त कठिन होती है। परन्तु जनसंघ के मन्त्रियों ने अल्पावधि में अपने विभागों में जो कुछ कार्य किया उस पर गर्व किया जा सकता है। हमने १९६७ में 'कांग्रेस हटाओ' को सफल बनाया और अब १९६९ में 'भारतीय जनसंघ को प्रभावी बनाओ' का नारा साकार करेंगे। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में जनसंघ अपने सिद्धान्त और कार्यक्रम पर चुनाव लड़ेगा।

समर्थक : श्री नारायण कृष्ण शेजवलकर, संसद सदस्य (मध्यप्रदेश)

प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मध्यप्रदेश के श्री ना० कृ० शेजवलकर ने कहा कि अनेक राज्यों में बनी मिलीजुली सरकारों का अनुभव भी मिलाजुला रहा है। विरोधी दल की सरकारों से जनता का जनतन्त्रीय पद्धति में विश्वास बढ़ा है। गत २० वर्ष के कांग्रेसी शासन से ऐसा लगता था कि मतदान से कांग्रेस को अपदस्थ करना संभव नहीं। परन्तु जनता अब यह मानने लगी है कि मतदान से भी सरकार बदली जा सकती है साथ ही दल बदलने के रोग का महत्व भी अब चुनाव के बाद उभर कर सामने आया है।

कार्यक्रम व नीति पर आधारित राजनीति पिछड़ती दिखाई दे रही है। इस दोष को दूर करने के कार्य में भी जनसंघ को अगवाई करनी होगी।

सर्वश्री कैलाशपति मिश्र (बिहार), केदारनाथ साहनी (दिल्ली), व

कृष्णलाल मैनी (पंजाब) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया। श्री मिश्र ने चतुर्थ महानिर्वाचन के बाद बदलती हुई बिहार की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि बिहार में संविद सरकार स्थापित होते ही अकाल का मुकाबला करना पड़ा। अकाल की स्थिति का लाभ कुछ राष्ट्र विरोधी तत्वों ने उठाना चाहा। जनसंघ ने उनके कुत्सित इरादों को नंगा कर उनके दुष्प्रयास सफल नहीं होने दिये। आपने कहा कि जनसंघ ने कम्युनिस्टों के देश-द्रोही चरित्र से कभी आंख नहीं मोड़ी। सरकार के बनते समय कई लोगों ने इस विषय में संदेह प्रकट किए थे। परन्तु, काल ने यह धारणाएं गलत सिद्ध कर दी हैं।

श्री केदारनाथ साहनी ने उदाहरणों सहित वर्णन किया कि किस प्रकार केन्द्रीय कांग्रेस सरकार दिल्ली महानगर परिषद और दिल्ली नगर निगम के कार्य में बाधाएं डाल रही है।

श्री कृष्णलाल मैनी ने पंजाब की स्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने २० वर्षीय शासन काल में केशधारी व गैर-केशधारी हिन्दुओं में फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। चतुर्थ आम चुनाव ने जनसंघ व अकाली दल को साथ-साथ बैठने और परस्पर एक दूसरे को समझने का मौका दिया। उसका परिणाम यह है कि आज केशधारी व गैर-केशधारी हिन्दुओं के मतभेद दूर हो गये हैं। प्रतिनिधियों ने उस समय श्री कृष्णलाल के भाषण का तालियों से स्वागत किया जब उन्होंने पंजाब की सांझा मोर्चा सरकार की सफलताओं का एक-एक करके उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जनसंघ ने जनता को आश्वासन दिया था कि वह कर भार में राहत देगा। हमने अपने इस वायदे के अनुसार पंजाब की जनता को ७४ करोड़ रुपये की करों में छूट दी। कांग्रेसियों ने उस समय यह भ्रम फैलाने की चेष्टा की कि इससे तो सरकार दिवालिया हो जायेगी परन्तु सांझा मोर्चा ने शासन से अलग होते समय एक करोड़ रुपयों का मुनाफा (surplus) सरकारी कोष में छोड़ा।

मिलीजुली सरकार में मिली सफलता के कारण जनसंघ को अमृतसर होशियारपुर, बटाला आदि नगरपालिकाओं के चुनाव में विजय मिली। तरन-तारन के उपचुनाव में भी कांग्रेस को ऐतिहासिक पराजय का मुंह देखना पड़ा। यहां जनसंघ समर्थित अकाली प्रत्याशी १५,००० मतों से विजयी हुआ जबकि महानिर्वाचन में तीन हजार मत से ही जीत हुई थी।

उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की राय है कि इन मिलीजुली सरकारों के

कारण कम्युनिस्टों को महत्व मिला है, परन्तु पंजाब का ऐसा अनुभव नहीं है। उदाहरण के लिए अमृतसर की नगरपालिका को लें। १४ वर्ष पूर्व वहां जनसंघ व कम्युनिस्ट पार्टी को चार-चार स्थान प्राप्त हुए थे। अब जनसंघ को आठ स्थान मिले जबकि कम्युनिस्टों को सिर्फ दो स्थान मिल सके।

स्वीकृत संशोधन

इस प्रस्ताव में अनेक संशोधन प्रस्तुत किए गए। प्रस्तावक श्री पीताम्बर दास ने सर्वश्री सत्यपाल ध्रुव (सदस्य महानगर परिषद्, दिल्ली) और के० नारायण अय्यर (केरल) के संशोधन स्वीकार कर लिए। श्री ध्रुव के संशोधन के कारण प्रस्ताव में दिल्ली में जनसंघ प्रशासन के कार्यों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया और श्री के० नारायण अय्यर के सुझाव पर प्रस्ताव में यह जोड़ दिया गया कि केरल में कम्युनिस्ट न केवल जनता की आर्थिक विकास की अपेक्षा को पूर्ण करने में असफल रहे अपितु स्वच्छ प्रशासन देने में भी विफल रहे हैं।

वापस हुए संशोधन

हरियाणा के श्री [illegible] ने कहा कि प्रस्ताव में यह मांग की जाय कि कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगे। मध्यप्रदेश के श्री रामचन्द्र विट्ठल बड़े ने मांग की कि प्रतिनिधि सभा यह निश्चय करे कि जनसंघ जब किसी दल से समझौता करे तब वह अपने सिद्धांतों से समझौता न करे। श्रीमती मालती बाई पगारे (महाराष्ट्र) ने कहा कि संयुक्त सरकारों को असफल कराने का दायित्व कांग्रेस का नकारात्मक रुख है। इसलिए प्रस्ताव में कांग्रेस के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। मध्यप्रदेश के श्री पंढरी राव कृदत्त ने कहा कि यदि कोई [illegible] का भरोसा मांगे कि उसकी बात मानी जाए तो उस पर जनमत जान लिया जाय। श्री प्रेमजी भाई आनन्द (महाराष्ट्र) ने कहा कि हरियाणा के मध्यावधि चुनाव में हुई जनसंघ की पराजय व उसके कारणों का भी प्रस्ताव में समावेश किया जाये। डा० वाहणकर (मध्यप्रदेश) ने संविद सरकारों में जनसंघ को एक जिम्मेदार संस्था माना, परन्तु अब जनसंघ के विधायक भी दल से त्यागपत्र देते हैं। इस राजनीतिक दल-बदल को रोकने के लिए एक आचार संहिता बनाई जाय। श्री छगनलाल विजयवर्गीय (आन्ध्र प्रदेश) ने कहा कि आन्ध्र प्रदेश में रजाकार आन्दोलन पुनः उभरता नजर आ रहा है। इसके अतिरिक्त कम्युनिस्टों की

राष्ट्रघाती कार्रवाइयां तेज हो रही हैं, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। श्री नाथू (महाराष्ट्र) ने मांग की कि कम्युनिस्ट पार्टी या उसका समर्थन प्राप्त दलों से समझौता नहीं करना चाहिए।

उत्तर प्रदेश जनसंघ के महामंत्री श्री रफीक महमूद [illegible] ने कहा कि कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल, बिहार और पंजाब में अल्पमत वाली सरकारें बनाने के जो प्रयास किए, वैसा प्रयास उसने १९५४ में त्रावणकोर कोचीन में भी थानु पिल्ले के नेतृत्व में प्रसोपा सरकार बनाने के भी किए थे जिससे प्रसोपा को वहां निराशा मिली थी। इसका भी उल्लेख प्रस्ताव में किया जाय

संशोधनों सहित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

अनुसूचित जातियां तथा जन-जातियां : प्रस्तावक : श्री रामसिंह आयरवाल, लोकसभा सदस्य

दोपहर बाद प्रतिनिधि सम्मेलन में एक तीसरा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्रस्तावक श्री रामसिंह आयरवाल, संसद सदस्य ने प्रस्ताव रखा कि प्रतिनिधि सभा हरिजन समस्या पर विचार करे। उन्होंने कहा कि आज हमारे समाज में कुछ वर्ग पिछड़े हैं और समाज में उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। यद्यपि भारतीय संविधान ने व्यवहार की समानता की बात स्पष्ट कही है, परन्तु वर्तमान परिस्थिति में वह व्यावहारिक नहीं दिखाई देती। हमें इन वर्गों के पिछड़ेपन को दूर करना चाहिए। छुआछूत हमारे समाज का कलंक है जिसे समाप्त करना चाहिए।

श्री [illegible] ने कहा कि यह प्रचार झूठा है कि भारतीय जनसंघ हरिजनों के बारे में विचार नहीं करता। इस प्रचार में कई बार हमारे लोग भी फंस जाते हैं। स्थिति यह है कि शासन ने इस समस्या पर विचार नहीं किया। केन्द्रीय सरकार की सुविधाओं का सही वितरण नहीं होता। गरीबी और उनकी निर्धनता का दुरुपयोग कर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। हम लोग उनके दैनिक जीवन में घुलें मिलें।

श्री नथ्थू (महाराष्ट्र) ने कहा कि वनवासियों को ईसाई मिशनरियों द्वारा बहकाया जा रहा है। श्री भारतसिंह चौहान, लोकसभा सदस्य (मध्य प्रदेश) ने कहा कि अछूतपन का कलंक समाप्त करना होगा। ईसाई मिशनरियों का एक राजनीतिक उद्देश्य है जिसे नाकामयाब करना होगा। श्री शिवनारायण [illegible] (कार्यकारी पार्षद, दिल्ली) ने कहा कि मनुष्य को मानव

अधिकारों से वंचित रखना गलत है। श्री ओमप्रकाश त्यागी, लोकसभा सदस्य (उत्तर प्रदेश) ने कहा कि इस समस्या की उपेक्षा घातक होगी। देश में अमरीकी साम्राज्यवादी तत्व बढ़ रहे हैं। ईसाई धर्म के विदेशी प्रचारक उनकी सफरमैना का कार्य कर रहे हैं। रूस व चीन के भी एजेंट सक्रिय हैं, उनसे भी सावधान रहना चाहिए। मेरे विचार से इस समस्या के समाधान के लिए अन्तर्जातीय विवाह शुरू करने चाहिएं। श्री सूरजभान (हरियाणा) ने कहा कि उत्तर प्रदेश के जेल कानून में यह व्यवस्था है कि रसोई केवल ब्राह्मण या उच्चवर्णीय व्यक्ति ही बना सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था समाप्त करनी होगी। श्री ओंकारलाल बैरवा, लोकसभा सदस्य (राजस्थान) ने कहा कि सरकारी सुविधाओं के वितरण में बड़ी धांधली है। श्री रामप्रकाश गुप्त, सदस्य विधान परिषद् (उत्तर प्रदेश) ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हरिजनों को शिक्षा की सुविधाएं दी गई हैं परन्तु उच्च सरकारी पदों पर हरिजन नहीं आ पाते। उनमें हीनता की भावना रहती है, इसे दूर किया जाना चाहिए। हरिजनों के लिए उद्योगों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। श्री मानसिंह वर्मा, राज्यसभा सदस्य (उत्तर प्रदेश) ने कहा कि हिन्दू समाज से इस वर्ग को अलग करने का अंग्रेजों का गहरा षड्यंत्र था। आपने कहा कि हरिजनों में हिन्दू भावना है। हरिजनों ने अपने धर्म की रक्षार्थ जितने बलिदान किए हैं उतने शायद किसी अन्य वर्ग ने नहीं किए। श्री वर्मा ने अध्यक्ष की ओर से प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।

समापन समारोह

प्रतिनिधि सभा अधिवेशन का समापन समारोह दूसरे दिन तीसरे पहर नेहरू स्टेडियम के सभाकक्ष में हुआ। श्री अटलबिहारी वाजपेयी ने अध्यक्षता की।

महामन्त्री श्री सुन्दरसिंह भंडारी ने अपने भाषण में आम चुनावों के पश्चात् और विशेषतः पं० दीनदयालजी के देहावसान के कारण कार्यकर्ताओं के सामूहिक उत्तरदायित्व की ओर ध्यान आकृष्ट किया। आपने कहा कि पं० दीनदयालजी ने एक आदर्श हमारे सामने रखा था तथा कार्य को दिशा और गति दी थी। हमें उसे गति से और आगे बढ़ाना है। पहले हमें पंडितजी का मार्गदर्शन प्राप्त था। इस अभाव की पूर्ति हमें सामूहिक चिन्तन और सामूहिक कार्य से करनी होगी। कई अवसरों पर विचारों की भिन्नता होना स्वाभाविक है। परन्तु आदर्श और उद्देश्य की समानता उस भिन्नता को एकता के दृढ़ सूत्र में बांध देती है। हमारे कार्य की यही विशेषता है।

श्री भंडारी ने संगठन के विस्तार के लिए नये व्यक्तियों और क्षेत्रों की खोज पर बल दिया। आपने कहा कि जनसंघ की बढ़ती शक्ति राजनीतिक कारणों से बहुत से लोगों को निगाह में खटकने लगी है। यह स्वाभाविक है। ऐसे लोगों के विरोध का उत्तर देते समय भी हमें अपना उच्च स्तर बनाये रखना चाहिए। जनता अन्य दलों की अपेक्षा जनसंघ से ऊंचे स्तर के व्यवहार की अपेक्षा करती है।

महामन्त्री ने उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और पंजाब में होने वाले मध्यावधि चुनावों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया और कहा कि जिन प्रदेशों में मध्यावधि चुनाव नहीं होंगे, उनसे भी सहायता पहुंचाई जानी चाहिए। विशेषतः प्रचार के लिए कार्यकर्ता इन प्रदेशों में जायें। आपने बाढ़ और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्य करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

प्रधान श्री अटलबिहारी वाजपेयी ने भी समापन भाषण में भावपूर्ण रीति से स्वर्गीय पं० दीनदयालजी के अभाव का उल्लेख किया। आपने कहा कि उपाध्यायजी की उपस्थिति में हम चिन्ता और चिन्तन दोनों से मुक्त रह सकते थे। वह इन दोनों का भार सफलता से वहन करते थे। अब हमें मिलकर यह जिम्मेदारी उठानी होगी।

श्री वाजपेयी ने कहा कि १९६७ के पश्चात् देश की राजनीति ने एक नई करवट ली है। एक शून्य-सा उत्पन्न हो गया है। निसर्ग का नियम है कि शून्य कोई न कोई अवश्य भरता है। आज का यह राजनीतिक शून्य जनसंघ के कार्यकर्ताओं के लिए एक चुनौती है। हमें इस शून्य को भरना होगा।

कुछ लोग कहते हैं कि जनसंघ बदल रहा है। समयानुकूल परिवर्तन कोई बुरी बात नहीं है। परन्तु वास्तविकता यह है कि जनसंघ ने अपनी नीतियां नहीं बदलीं। केवल शक्ति बढ़ने से कुछ लोगों का देखने का दृष्टिकोण बदल गया है। उदाहरण के लिए यह कहा गया था कि कालीकट अधिवेशन में जनसंघ ने अपनी भाषा-नीति में परिवर्तन किया है। वस्तुस्थिति इसके विपरीत है। भाषा के विषय में जनसंघ का दृष्टिकोण वही है जो पहले था। कई अन्य विषयों में भी लोगों को जनसंघ बदला-बदला लगता है, यह हमारे बढ़ते हुए प्रभाव का द्योतक है। जनसंघ न स्थितिवादी है और न अतीतवादी। हम उज्ज्वल भूत के आलोक में उज्ज्वलतर भविष्य के विकास के पुजारी हैं। हमारे पगों में गति है स्थिरता नहीं, हमारी भुजाओं में शक्ति है, जड़ता नहीं, भविष्य जनसंघ का है। हम बढ़ते और बढ़ते चले जायें हृदय में वज्र निश्चय और आंखों में देश के उज्ज्वल स्वप्न लिए।

भारतीय प्रतिनिधि सभा अधिवेशन, इन्दौर द्वारा पारित प्रस्ताव

श्रद्धाञ्जलि

भारतीय प्रतिनिधि सभा का यह अधिवेशन शोक की गहरी छाया में हो रहा है। जनसंघ की स्थापना के पश्चात् यह प्रथम अवसर है कि हम पण्डित दीनदयाल उपाध्याय के बिना, उनके सानिध्य से रहित और उनके मार्गदर्शन से वंचित रहते हुए अपना कार्य कर रहे हैं। जिस ढंग से पण्डितजी की हत्या हुई, उसने प्रत्येक व्यक्ति के सामने यह तथ्य उपस्थित कर दिया है कि भारत में कुछ ऐसे तत्व हैं जो राष्ट्रवाद और लोकतन्त्र पर कुठाराघात करने के लिए तुले हुए हैं। वे कौन हैं और किस प्रकार के षड्यन्त्र से उन्होंने हमारे नेता को हमसे छीना, यह अभी तक रहस्य बना हुआ है।

पण्डित दीनदयालजी जनसंघ के महामन्त्री और अन्तिम कुछ मास में अध्यक्ष ही नहीं थे, उन्होंने उसके संगठन का निर्माण किया, उसके चिन्तन को सुसंहित किया और अपने कर्मयोगी जीवन से उसके लाखों कार्यकर्ताओं के सामने एक उदाहरण रखा। उनका असाधारण विनय, उनकी असाधारण कर्मठता, उनकी अद्वितीय बौद्धिक प्रतिभा, और सबसे बढ़कर उनका पूर्ण समर्पण, जनसंघ के कार्यकर्ताओं के लिए युग-युग तक प्रेरणा का स्रोत रहेगा। पण्डितजी ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं का जो आदर्श उपस्थित किया वह सबके लिए अनुकरणीय है।

जनसंघ की भारतीय प्रतिनिधि सभा का यह विश्वास है कि उपाध्यायजी का पवित्र समर्पित जीवन और उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जायेगा। भगवान ने हमारे संस्थापक प्रधान डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुकर्जी व आचार्य रघुवीर को हमसे छीनकर जो हमारी परीक्षा ली थी उसमें जनसंघ जिस प्रकार अधिक शक्तिशाली होकर निकला था वैसे ही यह दीनदयालजी के निधन से भी कहीं अधिक दृढ़संकल्प और दृढ़ होकर आगे बढ़ेगा। यही अपने दिवंगत नेता के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

शोक प्रस्ताव

भारतीय प्रतिनिधि सभा पण्डित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, श्री सुन्दरलाल राय, श्री कुंजबिहारीलाल राठी, श्री बालशास्त्री हरदास, श्री रामप्रकाश

पाण्डे, महन्त विजयानन्द पर्वत के दुःखद देहावसान पर गहरा शोक प्रकट करती है और परमात्मा से प्रार्थना करती है कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति प्रदान करें।

पण्डित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर इस युग के ऋषि थे, जिन्होंने पुरानी परम्परा को आधुनिक काल में साकार करके दिखाया। वेदों के प्रकाण्ड विद्वान के रूप में उन्होंने माँ भारती को जितना समृद्ध किया है वह अनेक शताब्दियों के लिए विस्मरण करना भी कठिन है। उन्होंने 'जीवेम शरदः शतम्' के वैदिक आदर्श को ही पूरा नहीं किया, एक आदर्श जीवन भी जी कर भी दिखाया। यह अभिनन्दन उनकी स्मृति में [illegible] है।

श्री सुन्दरलाल राय, महाकोशल जनसंघ के अध्यक्ष, एक कर्मठ कार्यकर्ता और प्रमुख समाजसेवी थे। उनके आकस्मिक निधन से जनसंघ की बहुत बड़ी क्षति हुई है जिसे पूरा करना सुगम नहीं।

श्री कुंजबिहारीलाल राठी, उत्तर प्रदेश जनसंघ के अत्यन्त उत्तरदायी तथा कर्मठ कार्यकर्ता थे। अनेक वर्षों तक इन्होंने प्रदेश कोषाध्यक्ष का और एक वर्ष प्रदेश मन्त्री का कार्यभार संभाला। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सेवा तथा जनसंघ के संगठन में उनका योगदान कदापि भुलाया नहीं जा सकता।

श्री बाल शास्त्री हरदास देश के अत्यन्त सुविख्यात साहित्यकार, विद्वान, सुवक्ता और लेखक थे। उनके अकाल देहावसान से समाज व साहित्य की अपार क्षति हुई है।

श्री रामप्रकाश पाण्डे ने उत्तर प्रदेश में जनसंघ के एक संगठन मन्त्री के रूप में अनेक वर्षों तक सम्पूर्ण समय तथा सम्पूर्ण सामर्थ्य लगाते हुए संस्था के विकास में मूल्यवान योगदान दिया। उनकी मृत्यु से संस्था की बहुत हानि हुई है।

महन्त विजयानन्द पर्वत जी जो शाहाबाद (बिहार) के जिला जनसंघ के उपाध्यक्ष थे पिछले दिनों किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई। अपने क्षेत्र में वे जनसंघ की वृद्धि के सशक्त आधार थे। उनकी मृत्यु ने हमारे एक उत्साही व कर्मठ कार्यकर्ता को हमसे छीन लिया है।

राजनीतिक स्थिति

स्वतन्त्र भारत के राजनीतिक इतिहास में फरवरी १९६७ एक महत्वपूर्ण मोड़ के लिए जाना जायेगा। गत पूरे २० वर्षों तक कांग्रेस ने केन्द्र तथा राज्यों में सत्ता पर पूर्ण एकाधिकार का उपभोग किया। चौथे आम चुनाव ने इस

स्थिति में भारी परिवर्तन किये । कांग्रेस का सत्ता पर एकाधिकार टूट गया । छः राज्यों में (पंजाब, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मद्रास तथा केरल), केन्द्र प्रशासित दिल्ली के अतिरिक्त, गैर कांग्रेसी सरकारें कायम हुईं । परिवर्तन की प्रक्रिया यहीं पर नहीं रुकी । कुछ ही महीनों में कुछ अन्य राज्य—हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश—इस पंक्ति में शामिल हो गये और १९६७ के मध्य तक देश की जनसंख्या का दो-तिहाई भाग गैर-कांग्रेसी सरकारों के अन्तर्गत आ गया ।

तब से एक वर्ष बीता है कि इन १० सरकारों में से ५ सरकारें —हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा बिहार आन्तरिक दुर्बलताओं और कांग्रेसी कुचक्रों का शिकार हो चुकी हैं । परिणामतः आज देश छोटे आम चुनाव का सामना कर रहा है । आगामी फरवरी, मार्च, १९६९ तक पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में मध्यावधि चुनाव हो चुके होंगे । यह स्वाभाविक है कि इन चुनावों में मतदाताओं का निर्णय चौथे आम चुनाव के बाद हुई घटनाओं के मूल्यांकन से भी प्रभावित हो ।

गत १८ महीनों में दो राजनीतिक दृश्य कसौटी पर थे । एक मिलीजुली सरकारें तथा दूसरा अल्प-मत वाली सरकारें । प्रथम प्रयोग गैर-कांग्रेसी दलों ने किया और दूसरा कांग्रेस ने, १९६७ के आम चुनाव के पश्चात् अल्प-मत वाली सरकारें कायम करने का प्रयोग प्रथम पश्चिम बंगाल में तदनन्तर बिहार में और अन्त में पंजाब में किया गया, जो सर्वथा विनाशक रहा । पश्चिम बंगाल तथा बिहार में यह प्रयोग सौभाग्य से अल्पकालिक रहा, किन्तु पंजाब में जहां इसकी अवधि थोड़ी अधिक रही इसने राज्य को अपार क्षति हुई । कांग्रेस समर्थित गिल की कठपुतली सरकार में भ्रष्टाचार तथा स्वार्थाचरण ने इतना उग्र रूप धारण किया कि जिसके सामने कैरों शासन के कुकृत्य भी फीके पड़ गये । पंजाब के राज्यपाल ने गिल सरकार द्वारा त्यागपत्र के तुरन्त पूर्व लिये गये निर्णयों को स्थगित करके एक अच्छा कार्य किया है । किन्तु सार्वजनिक जीवन को स्वस्थ बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि भारतीय जनसंघ, अकाली दल तथा अन्य प्रतिपक्ष के नेताओं द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत किये गये स्मृति-पत्र को स्वीकार किया जाय और गिल सरकार की करतूतों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाय ।

अल्प-मत वाली सरकारों की तुलना में, जो सर्वथा विफल रहीं, गैर-कांग्रेसी दलों की संयुक्त सरकारें सुखद तथा दुखद अनुभवों का एक मिला-जुला प्रयोग रहा । संयुक्त सरकारों के प्रति जनसंघ के दृष्टिकोण को इस विषय में स्वीकृत

तीन प्रस्तावों—प्रथम दिल्ली में (अप्रैल १९६७) पश्चात् बड़ौदा में (सितम्बर १९६७) तथा हाल में गौहाटी में (जून १९६८) पारित प्रस्तावों में भलीभांति स्पष्ट कर दिया है । यह कहा जा सकता है कि—

(१) भारतीय जनसंघ केन्द्र तथा राज्यों में अपने ही बलबूते पर सरकारें बनाने की आकांक्षा रखता है; वह गैर-कांग्रेसवाद को एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार नहीं करता ।

(२) संयुक्त सरकारें राजनीतिक विवशताओं में से जन्म लेती हैं; जनसंघ अनुभव करता है कि विभिन्न राजनीतिक दलों का तुलनात्मक बल जिस प्रकार का है उसे देखते हुए यह विवशतायें कुछ राज्यों में कुछ समय तक हमारे साथ रह सकती हैं ।

(३) संयुक्त सरकारों की सफलता मुख्यतः उसमें शामिल विभिन्न घटक दलों द्वारा अपनी मर्यादायें पहचानने पर निर्भर करती है । यदि वे जनता को प्रामाणिक तथा दक्ष प्रशासन देने पर अपना ध्यान केन्द्रित करें और सरकारी नीतियों को मतवादी मोड़ देने की प्रवृत्ति से सर्वथा बच सकें तो उन्हें सफल बनाया जा सकता है ।

इस संदर्भ में इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा कि संयुक्त सरकारों का निर्माण, जहां वे विफल रही हैं वहां भी, जनता का हित करने की उत्कट आकांक्षा से प्रेरित था, इसके विपरीत अल्प-मत वाली सरकारें कांग्रेस दल के सिद्धान्त-विहीन अवसरवाद तथा गैर-कांग्रेसी सरकारों को सहन करने की उसकी अक्षमता में से निकली थीं ।

गत १८ महीनों में कांग्रेस समेत सभी प्रमुख राजनीतिक दल भी कसौटी पर कसे जा रहे थे । प्रथम बार केन्द्र स्थित कांग्रेस सरकार को अनेक गैर-कांग्रेसी सरकारों से निपटना था और प्रथम बार कांग्रेस दल को अनेक राज्यों में विरोधी दल के रूप में बैठना था । दोनों दृष्टियों से कांग्रेस का रिकार्ड लज्जाजनक रहा है । जिस ढंग से भारत सरकार ने गैर-कांग्रेसी सरकारों को उलटने के लिए राज्यपालों को अपना उपकरण बनाया है, उससे न केवल राज्यपाल के पद को लांछित होना पड़ा है अपितु उन तत्वों को बल मिला है जो केन्द्र को कमजोर करना चाहते हैं । दिल्ली में जनसंघ अपने अनुभव से यह बात जानता है कि गैर-कांग्रेसी सरकारों के प्रति केन्द्र सरकार का रवैया स्पष्टतः भेदभावपूर्ण है । जहां तक प्रतिपक्ष के नाते कांग्रेस की भूमिका का प्रश्न है, पुनः दिल्ली के उदाहरण से यह सिद्ध है कि २० वर्षों में अनिर्बन्ध प्रभुत्व से कांग्रेसजनों में यह स्वभावगत अक्षमता पैदा हो गई है कि सत्ता से

वंचित होकर वे उत्तरदायित्व और अनुशासन की भावना से आचरण कर सकें। कम से कम आज तक का कांग्रेस का व्यवहार ऐसा ही है।

अन्य दलों में से कम्युनिस्टों ने, आशाओं के अनुरूप, पश्चिम बंगाल में कानून के राज्य तथा लोकतान्त्रिक पद्धति को नष्ट करने के लिए शासन-तंत्र का दुरुपयोग कर अपने विरुद्ध जनता के रोष को उभारा है। नक्सलवादियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है और न उन्हें क्षमा ही किया जा सकता है। केरल में कम्युनिस्टों ने आर्थिक स्थिति में सुधार एवं एक सामाजिक प्रशासन की जनता की सभी आशाओं पर पानी फेर दिया है। इस राज्य में कम्युनिस्ट शासन का एक अशुभ परिणाम यह हुआ है कि मुस्लिम-लीग की सम्प्रदायवादी शक्तियाँ में इतनी उभार आ गई है जितनी पहले कभी नहीं थी। कम्युनिस्ट पार्टी ने हाल में हुई दो अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं—पाकिस्तान को सोवियत रूस की शस्त्र-सहायता तथा रूस और वारसा सन्धि समझौते के अन्य साथी देशों द्वारा चैकोस्लोवाकिया पर आक्रमण—के बारे में जो रवैया अपनाया है उससे इसी तथ्य की पुष्टि हुई है कि यह दल मास्को के शिकंजे से अपने को मुक्त करने में असमर्थ है।

भारतीय जनसंघ आगामी मध्यावधि चुनावों में अपने सिद्धान्तों तथा आम चुनाव के पश्चात् की गई सेवा के आधार पर जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए कृतसंकल्प है। दिल्ली में जनसंघ का स्पष्ट बहुमत है। यहां पिछले डेढ़ वर्ष में उसने कार्यक्षम कार्य किया है। उत्तर प्रदेश में संयुक्त सरकार में यह प्रमुख घटक रहा है, और मध्य प्रदेश में आज भी है। बिहार तथा पंजाब में उसने संयुक्त मोर्चों की सरकारों में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन मिली-जुली सरकारों के संयुक्त कार्य-कलापों के बारे में किसी की राय कुछ भी हो, जनसंघ का रिकार्ड ऐसा रहा है कि जिस पर न तो कोई लांछन लगा सकता है और न उंगली ही उठा सकता है।

आगामी मध्यावधि चुनावों में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनसंघ सभी स्थानों के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेगा और राज्य विधान सभा में स्पष्ट बहुमत की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होगा। बिहार में जहां कुछ समय पूर्व तक हमारा काम बहुत अधिक व्यापक नहीं था और जहां जनसंघ के पक्ष में जन-समर्थन का एक भारी उभार आया हुआ है, यह अधिकांश स्थानों के लिए उम्मीदवार खड़े करेगा और राज्य में सबसे बड़ा दल बनने का प्रयास करेगा। पंजाब में अकाली दल तथा अन्य राष्ट्रवादी गुटों के साथ तालमेल बैठाकर हम सभी स्थानों पर लड़ना चाहेंगे। पश्चिम बंगाल में हमारा उद्देश्य इन चुनावों में विधान सभा में दृढ़तापूर्वक अपने पांव जमाने तथा ऐसी एक तृतीय शक्ति का आधार बनने का होगा, जो भविष्य में कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट दोनों का विकल्प बन सके। इन सभी चुनावों में जनसंघ कम्युनिस्टों के साथ किसी प्रकार का तालमेल नहीं करेगा। अन्य गैर-कांग्रेसी दलों तथा उम्मीदवारों के साथ स्थानीय आधार पर तालमेल करने की छूट होगी।

चतुर्थ आम चुनाव के दो स्थायी लाभ हैं—प्रथम कांग्रेस की अजेयता के भ्रम का निवारण तथा द्वितीय भाजपा की प्रभावशीलता में साधारण जन का विश्वास। इनके साथ-साथ जनसंघ की विचारधारा तथा कार्यक्रम हैं और शासन के भीतर तथा बाहर जन-सेवा का हमारा शानदार रिकार्ड है। इस पूंजी के साथ हमें जनता का विश्वास तथा समर्थन प्राप्त करने के लिए सारी शक्ति लगाकर आगे बढ़ना चाहिए। यदि फरवरी १९६७ कांग्रेस की नकारात्मक अस्वीकृति के लिए महत्त्वपूर्ण था तो फरवरी १९६९ जनसंघ के प्रति जनता के भावात्मक समर्थन का द्योतक बनना चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति

गत महीनों में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं जो भारत के लिए विशेष महत्त्व रखते हैं। अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर हमें उनकी गहरी गहराई से छानबीन करनी होगी और यथार्थवादी दृष्टिकोण से उनका आकलन करना होगा।

प्रथम महत्त्वपूर्ण परिवर्तन सोवियत रूस की विदेश नीति में यह प्रकार है जिसकी परिणति पाकिस्तान को शस्त्र देने के निश्चय के रूप में हुई है। रूस की नीति में यह परिवर्तन आकस्मिक नहीं है। १९६५ के प्रारम्भ में कच्छ पर हुए पाकिस्तान के आक्रमण के पूर्व ही इस परिवर्तन के संकेत मिलने लगे थे तथा ताशकन्द में यह स्पष्ट रूप से हमारे सामने आया। यह दुःख का विषय है कि भारत के विदेश मंत्रालय के कर्णधार इस परिवर्तन को नहीं भांप सके और भारतीय संसद तथा भारतीय जनता को अपनी इस शासन की उन्हीं उन्हीं उद्घोषणाओं से कि रूस की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उस समय तक धोखा देते रहे जब तक कि पाकिस्तान को शस्त्र देने की स्वयं रूस की घोषणा ने ही इस रहस्य को छिपाये रखना असंभव नहीं कर दिया।

सोवियत रूस के इस नीति परिवर्तन में भारत के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण संभावनाएं निहित हैं। इससे एक बार फिर पुरानी यह उक्ति सत्य सिद्ध हो गई है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में न तो स्थायी मित्र होते हैं और न स्थायी

साथ, केवल राष्ट्रहित ही विदेश नीति के निर्धारण का एकमात्र स्थायी आधार होता है। भारत की विदेश नीति के निर्माता यदि अब भी इस सीख को ग्रहण कर लें और भारत की विदेश नीति का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए तैयार हो जाएं तो रूस की नीति में हुआ यह परिवर्तन भारत के लिए परोक्ष रूप में वरदान बन सकता है।

रूस के इस नीति परिवर्तन से दूसरी बात सीखने के योग्य यह है कि कभी भी दो असमान देशों के बीच वास्तविक मैत्री नहीं होती। जब तक भारत दो महाशक्तियों की भारी सहायता पर निर्भर रहेगा तब तक उनके साथ बराबरी के आधार पर कहीं नाता नहीं जोड़ सकता।

रूस की नीति में हुए परिवर्तन का तीसरा परिणाम यह हुआ है कि पाकिस्तान की युद्ध पिपासा में वृद्धि हुई है तथा भारत के प्रति उसके आक्रामक इरादे और अधिक स्पष्ट रूप में सामने आते जा रहे हैं। जिस तिरस्कारपूर्ण तरीके से पाकिस्तान ने भारत के प्रधान मन्त्री के युद्ध-वर्जन प्रस्ताव को ठुकराया उससे पाकिस्तान की इच्छायें और इरादे और भी स्पष्ट हो गये हैं। पाकिस्तान के विदेश मन्त्री श्री अरशद हुसैन की हाल की पीकिंग यात्रा तथा चीन के प्रधान मन्त्री की प्रस्तावित पाकिस्तान यात्रा को यदि सोवियत नीति में परिवर्तन की पृष्ठभूमि में देखें तो पाकिस्तान की संयुक्तराष्ट्र संघ में काश्मीर सम्बन्धी हलचलें, पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर उसकी युद्ध की तैयारियों में वृद्धि, शेख अब्दुल्ला और मौलवी फारूख की काश्मीर में राष्ट्र विरोधी कार्यवाहियां तथा नागा और मिजो बागियों, चीनी और पाकिस्तानी एजेंटों की पूर्वी क्षेत्र में गतिविधियों से उत्पन्न संकट को भारत सरकार और जनता स्वयं को खतरे में डाल कर ही दृष्टि से ओझल कर सकती है।

तीसरी महत्वपूर्ण घटना सोवियत रूस और उसके वारसा संधि के चार साथियों द्वारा कुछ चेक नेताओं के निमन्त्रण का बहाना बनाकर चैकोस्लोवाकिया पर किया गया वह नग्न आक्रमण है जो केवल चैकोस्लोवाकिया के नेताओं को मार्क्सवादी शासन में उदारता लाने से रोकने के लिए किया गया था। यह आक्रमण संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणापत्र का खुला उल्लंघन तथा हर देश के बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपनी इच्छानुसार अपने भाग्य-निर्माण के अधिकार का शर्मनाक अतिक्रमण है।

सोवियत रूस के इस बल प्रयोग से भारत को अनेक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने हैं। प्रथम, यह बात स्पष्ट हो गई है कि रूसी भालू अपने स्वभाव और स्वरूप को बदलने में असमर्थ है। वह अब भी एकाधिकारवादी,

असहिष्णु और मानव स्वतंत्रता का पहले जैसा ही शत्रु है। अपने घर में तथा अपने प्रभाव क्षेत्र के छोटे देशों में वह स्वतन्त्रता की प्रत्येक लहर को कुचल करने के लिए कटिबद्ध है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि रूस में स्टालिनवाद पुनः जीवित हो रहा है जिससे रूस और कम्युनिस्ट चीन के बीच समझौते का मार्ग तैयार हो सकता है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि साम्यवाद और नाजीवाद में कोई अन्तर नहीं है, वस्तुतः दोनों समान ही हैं।

भारत की दृष्टि से और भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस समय चैकोस्लोवाकिया रूसी टैंकों के नीचे रौंदा जा रहा था, अमेरिका और नाटो संधि के उसके साथियों ने विरोध स्वरूप एक अंगुली तक उठाना स्वीकार नहीं किया। इससे केवल यह सिद्ध होता है कि इन दो महाशक्तियों ने संपूर्ण संसार को अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र में बांट लिया है, और चाहे इन दोनों के बीच शीतयुद्ध चल भी जाये तो भी किसी बड़े देश द्वारा छोटे देश पर आक्रमण के समय छोटे देश की सहायता करने के लिए महादेश उस समय तक उद्यत नहीं होंगे जब तक स्वयं उनके राष्ट्रीय हितों के लिए ऐसा करना अनिवार्य न हो। इस घटना से उन लोगों के तर्कों की धज्जियां उड़ गई हैं जो भारत को यह सलाह देते रहे हैं कि वह अमेरिकी आणविक छतरी अथवा सोवियत संरक्षण के आश्वासनों पर भरोसा कर अधिकारवश अणु सामर्थ्य विकसित करने के अपने अधिकार का परित्याग कर दे। अब स्पष्ट है कि पाकिस्तान तथा चीन के अलग-अलग अथवा दोनों के संयुक्त तथा अप्रत्याशित आक्रमण के विरुद्ध अपनी रक्षा के लिए भारत किसी बाहरी शक्ति पर भरोसा नहीं कर सकता। आज के युद्ध-विभक्त संसार में यदि भारत को अपनी स्वतंत्रता, अखंडता और सार्वभौमिकता को सुरक्षित बनाये रखना है तो स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना होगा।

चैकोस्लोवाकिया से सम्बन्धित घटनाचक्र में भारत सरकार का अनुसेवी स्वरूप खुलकर सामने आया। जिस प्रकार भारत की प्रधानमन्त्री "निन्दनीय" तथा "शोचनीय" शब्दों का विश्लेषण करती रहीं तथा इस विषय पर सुरक्षा-परिषद में भारत के प्रतिनिधि ने मतदान नहीं किया, उससे स्पष्ट हो गया है कि सरकार किसी ऐसे मामले में जिसमें रूस का सम्बन्ध हो अथवा उसकी दिलचस्पी हो, स्वतन्त्र और सिद्धान्तवादी निश्चय करने की क्षमता खो चुकी है। यह एक ऐसा दिशा संकेत है कि जिसकी खतरनाक संभावनाओं के विषय में सभी देशभक्तों को विचार करना होगा।

इन अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं से हमें आश्चर्य नहीं हुआ। भारतीय जनसंघ

ने सर्वप्रथम रूस के इस नीति परिवर्तन की ओर सन् ६४ में ही जनता और भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था। भारतीय जनसंघ पिछले बहुत वर्षों से लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि भारत को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और विदेशी सहायता पर अपनी निर्भरता घटाना चाहिए। जनसंघ देश के भीतर और बाहर कम्युनिस्टों के असली स्वरूप और इरादों को समझने की आवश्यकता पर भी बल देता रहा है तथा भारत के नेताओं में रूस के प्रति बढ़ते हुए मोह के विरुद्ध चेतावनी देता रहा है।

भारतीय जनसंघ अनेक बार व्यक्त किये अपने इस मत को पुनः दोहराता है कि भारत को अपनी विदेश नीति का पुनः आकलन करना चाहिए तथा विदेश नीति और प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं के बीच स्वस्थ तालमेल बैठाया जाना आवश्यक है। भारतीय जनसंघ सरकार और जनता को विशेष रूप से सचेत करना चाहता है कि आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान और चीन तथा देश के भीतर बैठे उनके एजेंटों से देश की अखंडता और सुरक्षा को भारी खतरा पैदा होने की संभावना है। पाकिस्तान के पक्ष में रूस की नीति में हुए परिवर्तन के कारण अरब देशों की पाकिस्तान के प्रति दोस्ती के रवैये में और अधिक वृद्धि होना अत्यन्त स्वाभाविक है। अतः भारत को पश्चिम एशिया के देशों विशेषतः इज़राइल के संबंध में अपनी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए।

भारतीय जनसंघ देश की सभी राष्ट्रवादी तथा प्रजातांत्रिक शक्तियों से अपील करता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में परिवर्तन से उत्पन्न हो सकने वाले संकट का मुकाबला करने के लिए सचेत और संगठित रहें।

बाढ़ और सूखे से उत्पन्न स्थिति

गत दो वर्षों के भीषण अकाल की स्थिति में से निकलकर आज जब देश भरपूर उपज के सुखद परिणामों को अनुभव करने को ही था उसी समय भारी पैमाने पर आई हुई बाढ़ों और तज्जनित फसलों की भीषण हानि के साथ-साथ देश को व्यापक सूखे से उत्पन्न परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। आंध्र तथा मैसूर के अधिकांश तथा हरियाणा का बड़ा भाग तथा पश्चिमी महाराष्ट्र सूखे से पीड़ित है। गुजरात के चार और उड़ीसा के सात जिले भी प्रभावित हैं। राजस्थान का सारा सीमावर्ती प्रदेश तो अनेक वर्षों से सूखाग्रस्त है। उत्तर प्रदेश व मध्यप्रदेश में भी इस संकट की आशंकाएं दिखाई दे रही हैं। इस

स्थिति ने एक बार फिर बड़े दारुण ढंग से सिद्ध कर दिया है कि, अब तक कृषि उत्पादन में जो कुछ सफलता मिलती रही है वह प्रकृति के अनुग्रह का प्रसाद अधिक रहा है और हमारी योजनाओं का फल कम। वास्तव में, सिंचाई, बाढ़-नियंत्रण आदि एक से अधिक उद्देश्यों को लेकर बनाई गई बहुमुखी परियोजनाओं पर अरबों रुपया खर्च करने के पश्चात देश पर बाढ़ों तथा सूखे का एक साथ आया हुआ प्रकोप एक विडम्बना से कम नहीं है। गत वर्षों में बाढ़ों का जो विनाश हुआ है उसने और पानी के स्वाभाविक प्रवाह व निष्कासन के मार्गों का ध्यान में रखे बिना बनाई गई रेल लाइनों, नहरों व सड़कों तथा दोषपूर्ण जल-बन्धों ने बाढ़ों की समस्या को उग्रतर कर दिया है। साथ ही साथ भारी भरकम तथा देखने में चमत्कारिक बांधों व बड़ी बड़ी योजनाओं के मोह में स्थानीय प्रेरणा से उठाई जा सकने वाली छोटी सिंचाई योजनाओं, नलकूपों के निर्माण, तालाब तड़ागों की सफाई व सुधार आदि कार्यों की उपेक्षा ने सिंचाई की समस्या के हल को दृश्य भविष्य से परे ही बनाये रखा है।

जनसंघ पहले से ही नलकूपों व सिंचाई के अन्य छोटे साधनों पर बल देता रहा है। यदि इस ओर समय पर ध्यान दिया गया होता तो आज की स्थिति उत्पन्न न होती। चौथी योजना की भूमिका में इनकी ओर अधिक ध्यान देने का आश्वासन दिया गया है परन्तु वह कितना क्रियान्वित होता है यह देखना बाकी है। हाल के अनुभवों से इस संबंध में शंका उत्पन्न होती है कि सरकार खाद्य और कृषि के मौलिक विषय को निपटाने के लिए अभी तक न सही दृष्टि अपना सकी है न पर्याप्त क्षमता प्राप्त कर पाई है। परिवहन में तथा स्टोर करने की ठीक व्यवस्था न होने के कारण ऐसे देश में हमारे इस अनाज की बरबादी जो कल तक एक-एक दाने के लिए मोहताज था और जिसने इस वर्ष भी भारी मात्रा में खाद्यान्न का आयात किया है, यह सबके लिए चिन्ता का विषय है। कहीं कहीं ऐसे निर्णय भी लिए जाते दिखाई देते हैं जो कृषि उत्पादन की दृष्टि से लाभकर नहीं हो सकते। उदाहरणार्थ जहां १९६८-६९ की वार्षिक योजना में देहात के विद्युतीकरण से जुड़ी हुई छोटी सिंचाई की ओर अधिक ध्यान देने का दावा है वहां राष्ट्रपति शासन के द्वारा उत्तरप्रदेश तथा बिहार में बढ़ाई गई बिजली की दरों से यह आशंका होती है कि ये दावे खोखले हैं और सरकार अभी भी इस प्रश्न के यथार्थ रूप से कोसों दूर है। आन्ध्र प्रदेश में बिजली देने के लिए एक हजार रुपये के सरकारी कर्जे के बांड खरीदने की शर्त लगाना भी ऐसी ही मनोवृत्ति का द्योतक है जो विद्युतीकरण को निरुत्साहित करेगी। चालू वर्ष की योजना में सामुदायिक विकास के लिए लगभग २२

करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अब तक का अनुभव यह है कि इस काम पर किया गया खर्च राजनैतिक हेतु से लोक-धन का अपव्यय मात्र है। काम की सर्व स्वीकृत कठिन स्थिति में उस व्यय का कोई औचित्य नहीं दिखाई देता।

बाढ़ और सूखे की वर्तमान दोहरी आपत्ति से कार्यसमिति का यह सुविचारित मत है कि वर्षानुवर्ष होने वाले विनाश का केवल तात्कालिक विचार करके पीड़ितजनों को राहत मात्र देना ही पर्याप्त नहीं है। आवश्यक है कि सरकार केन्द्रीय जल व शक्ति आयोग में एक पृथक व स्थाई अनुभाग बनाये जो इस समस्या का हल करने का प्रयत्न करे। स्वाभाविक रूप से इसका विचार देश के जल साधनों का उचित उपयोग और कृषि की वर्षा-निर्भरता से मुक्ति के पहलुओं की पृष्ठभूमि में ही करना होगा। इसी प्रकार बाढ़ प्रतिरोध कार्य के लिये विशेष दलों प्रशिक्षित करके तैयार रखने होंगे जो आवश्यकतानुसार स्थान पर अविलम्ब पहुंचाये जा सकें।

दूसरी ओर सदैव सूखाग्रस्त रहनेवाले क्षेत्रों की समस्या का समाधान करने के लिए कार्यसमिति की मांग है कि सरकार एक सूखा आयोग स्थापित करे जो ऐसे सारे इलाकों का सर्वेक्षण करके उनके लिए उपाय योजना करे और उन उपायों के कार्यान्वयन के लिए एक स्थायी व्यवस्था बनावे। अकाल कोड बहुत पहले बनाया गया था और आज की परिस्थिति के लिए सर्वथा अपर्याप्त और अवास्तविक है। किसी क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित करने की शर्त से लेकर राहत केन्द्रों में दी जाने वाली मजूरी और वृद्ध तथा अक्षम लोगों को दी जाने वाली खुराक तक सभी बातों का पुनर्विचार आवश्यक है। पशुधन की हानि को रोकने के लिए घास-चारे की व्यवस्था करना भी अनिवार्य है। कार्यसमिति का मत है कि इस महत्वपूर्ण विषय की अधिक उपेक्षा न करके सरकार को शीघ्र ही सुस्पष्ट और सुनिश्चित पग उठाने चाहिए।

अभी तात्कालिक रूप में, जो क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हैं, वहां निम्न पग अविलम्ब उठाये जावें:—

१. खड़े पानी को पम्पों के द्वारा निकालने की व्यवस्था की जाये ताकि रबी फसल की बुवाई की जा सके।

२. पानी के कारण प्रभावी स्थानों में जिन कारखानों की मशीनें खराब हो गयी हैं तथा कच्चा माल नष्ट हो गया है, वहां मशीनों व माल संबंधी प्रकार सहायता देकर उन्हें चालू करवाया जाय।

३. सभी बाढ़ तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुधन की रक्षा के लिए चारे की

व्यवस्था की जाय। मालिया व आबियाना तुरन्त माफ किया जाय तथा सभी प्रकार के सरकारी कर्जों की वसूली रोक दी जाय। साथ ही लोगों को काम देने के लिए नहरों, सड़कों का निर्माण, तालाब-पोखरों की सफाई, खुदाई आदि सार्वजनिक कार्य अविलम्ब शुरू किये जायें।

४. जहां सूचना मिलने के पश्चात् भी स्थानीय अधिकारियों की ओर से समय पर आवश्यक कार्यवाही न करने के कारण हानि हुई है, वहां ऐसी लापरवाही करने वालों के विरुद्ध जांच करके उन्हें दण्डित किया जावे।

अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की स्थिति

(श्री रामसिंह अग्रवाल, सदस्य लोकसभा, द्वारा अनुसूचित तथा जन-जातियों की स्थिति पर विचार किये जाने के प्रस्ताव पर विचारोपरान्त अध्यक्ष की ओर से प्रस्तुत तथा भारतीय प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित प्रस्ताव)

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आशा की गई थी कि सदियों से उपेक्षित, शिक्षा तथा विकास के अन्य अवसरों की दृष्टि से पिछड़े और आर्थिक क्षेत्र में असमानता वर्गों को विशेष सुविधाओं के आधार पर तेजी से आगे बढ़ते हुए, समाज के अन्य वर्गों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर प्रगति करने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। ऊंच-नीच के भेद समाप्त होकर, सम्पूर्ण समाज में पारिवारिक भावना तथा समता प्रतिष्ठित होगी। परन्तु खेद का विषय है कि गत २० वर्षों में इस दिशा में वांछित प्रगति नहीं हो सकी। समाज सुधार की जो नवभावना स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व राष्ट्र में बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, स्वतंत्रता के बाद उसमें भी कमी आ गई। आज देश के अनेक भागों से अनुसूचित जातियों एवं जन-जातियों की शोचनीय स्थिति के जो समाचार आ रहे हैं, प्रतिनिधि सभा उन पर चिन्ता व्यक्त करती है। प्रतिनिधि सभा का निश्चित मत है कि जन्म, जाति और व्यवसाय के आधार पर समाज में प्रतिष्ठा की कल्पना तथा उस आधार पर भेदभाव सामाजिक एकता के लिए बाधक है। भारत की भूमि पर निवास करने वाला तथा उसके प्रति ममता रखने वाला विशाल मानव समुदाय एक परिवार है। परस्पर आत्मीयता एवं समानता का भाव जन-एकता को पुष्ट करता है। अतएव आवश्यक है कि ऊंच-नीच और छुआछूत को मिटाने के लिए प्रभावी ढंग से शैक्षिक, सुधारवादी एवं आन्दोलनात्मक पग उठाये जायें।

सामाजिक समता का प्रश्न, पिछड़े हुए वर्गों के आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। देश की तीन पंचवर्षीय योजनाओं में इस दृष्टि से कोई परिणामकारी नीति नहीं अपनाई गई। सरकार ने 'हरिजन कल्याण' तथा 'जनजातियों के

विकास की योजनायें तो बहुत थीं, परन्तु वास्तविकता यह है कि उन्हें आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने का प्रयास नहीं हुआ। इसके लिए शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें मात्र पर्याप्त नहीं हैं। जब तक देश के नियोजन में इन वर्गों के आर्थिक विकास के लिए, उनके कुटीर उद्योगों का आधुनिकीकरण, संरक्षण एवं प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा, गरीब और अमीर के बीच आर्थिक खाई कम होना असम्भव है। गत तीन योजनाओं में उद्योगों के विकास पर जो धनराशि व्यय की गई है, उसका अत्यन्त अल्पांश ही इन पिछड़े हुए वर्गों के लिए प्राप्त हो सका है। उद्योगों की सहायता के लिए ऋण अथवा अनुदान देने के जो नियम प्रचलित हैं, उनके आधार पर ये वर्ग, जिनके पास न कोई सम्पत्ति है और न पूंजी, लाभ उठाने में समर्थ नहीं हो सकते। यदि अनुसूचित जातियों एवं जन-जातियों की जनसंख्या के आधार पर, औद्योगीकरण पर व्यय किये जाने वाले धन का एक निश्चित प्रतिशत, इन वर्गों के लिए सुरक्षित कर दिया जाय तथा सरकार एक ऐसे तंत्र का निर्माण करे जिसके द्वारा सरकारी ऋण एवं अनुदान इन वर्गों तक भी पहुंच सकें, और ये अपने जीवनयापन के लिए सरकार के मुखापेक्षी न रहकर अपने पैरों पर खड़े हो सकें तो निश्चय ही समाज के आर्थिक जीवन में एक क्रान्तिकारी मोड़ आयेगा और आर्थिक विषमता की खाई पटना प्रारम्भ हो सकेगी। प्रतिनिधि सभा सरकार से मांग करती है कि चौथी योजना में इस दृष्टि से आवश्यक संशोधन किया जाय।

सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिए जो स्थान सुरक्षित किये गये हैं, अभी तक उन पर भी ईमानदारी से नियुक्ति नहीं की जा रही है। हरिजन प्रार्थी उपलब्ध होते हुए भी, अनेक बहाने बनाकर उनके लिए सुरक्षित स्थानों पर भी उन्हें नियुक्त नहीं किया जाता। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य सेवाओं में आज भी इन जातियों का प्रतिशत उनकी जनसंख्या के अनुपात से बहुत कम है। भर्ती की गति भी अत्यन्त धीमी है। जब तक केन्द्रीय एवं प्रादेशिक सरकारें इस ओर ध्यान देकर, नियम की अवहेलना करने वाले नियुक्ति अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कदम नहीं उठायेंगी, तब तक इस दिशा में वांछित सुधार नहीं हो सकता।

भारतीय जनसंघ पिछड़ी हुई जातियों को एक निश्चित अवधि में, समाज के समान स्तर पर लाने के लिए योजनानुसार कार्यक्रम बनाने के पक्ष में है। गत २० वर्षों के अनुभव ने समाज में इस धारणा को बढ़ावा दिया है कि यह लक्ष्य "एक निश्चित अवधि" में प्राप्त नहीं हो सकेगा और पिछड़ेपन के आधार पर दिया जानेवाला आरक्षण कहीं स्थायी रूप न धारण कर

ले। संविधान की निर्मिति के समय यह अनुमान लगाया गया था कि १० वर्षों की अवधि के बाद इस प्रकार के आरक्षण समाप्त किये जा सकेंगे, परन्तु आज २० वर्ष बाद भी ये जातियां समाज के अन्य वर्गों के समकक्ष नहीं आ सकी हैं और इसलिए आरक्षण बनाये रखने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों के प्रति अपनाई गई वर्तमान नीति की विफलता के कारणों की जांच की जाय और जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन की ऐसी प्रक्रियाओं को प्रारम्भ किया जाय जिससे समाज के दुर्बल वर्ग शीघ्रातिशीघ्र अन्य वर्गों के समकक्ष आ जायें।

कर्मचारी आन्दोलन

(भारतीय कार्यसमिति द्वारा पारित प्रस्ताव)

भारतीय कार्य समिति ने केन्द्रीय कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत आवश्यकताओं पर आधारित न्यूनतम वेतन, महंगाई भत्ते का मूल वेतन में समावेश, मूल्य वृद्धि के लिए शत प्रतिशत क्षतिपूर्ति तथा अवकाश लेने की आयु के सम्बन्ध में यथास्थिति बनाये रखने की मांगों पर विचार किया। कार्यसमिति अनुभव करती है कि, यह मांगें न्यायोचित हैं और केन्द्रीय सरकार को उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। कार्यसमिति का यह मत है कि यद्यपि प्रथम तथा द्वितीय वेतन आयोगों ने सराहनीय कार्य किया था, किन्तु केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन दर अभी तक किसी वैज्ञानिक आधार पर निश्चित नहीं किये गये हैं। १५वें भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा निर्णीत कसौटियां तथा शर्तों के अनुसार न्यूनतम मजूरी का निर्धारण, वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा कार्यभार के मूल्यांकन के फलस्वरूप वेतनों में अन्तर का निश्चय और सम्पूर्ण वेतन तथा भत्ते को निर्वाह व्यय सूचकांक से जोड़ना समिति की दृष्टि में मजूरी तय करने की सामञ्जस्यपूर्ण पद्धति है। अतः समिति मांग करती है कि रेल कर्मचारियों के एक पृथक मजूरी बोर्ड तथा शेष सभी केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए एक तीसरा वेतन आयोग नियुक्त किया जाय।

कार्यसमिति इस बात पर खेद प्रकट करती है कि केन्द्रीय कर्मचारियों तथा विभिन्न राज्य कर्मचारियों के वेतन दरों, भत्तों तथा अन्य भुगतानों में भारी अंतर कायम है। न्याय का तकाजा है कि केन्द्र तथा राज्यों के कर्मचारियों को इस मामले में एक ही स्तर पर लाया जाय। राज्यों के सीमित साधनों को देखते हुए केन्द्रीय सरकार को उनकी सहायता के लिए बड़े पैमाने

पर आगे आना चाहिए जिससे राज्य कर्मचारियों की समान वेतन तथा भत्ते की माँग को पूरा करने के लिए शीघ्र ही उपयुक्त पग उठाये जा सकें।

समाचार पत्र उद्योग में वर्तमान संकट केन्द्रीय सरकार की श्रम नीति तथा श्रम मन्त्रालय की विफलता का द्योतक है। इस क्षेत्र में औद्योगिक अशान्ति में वृद्धि के लिए केन्द्रीय सरकार की मामलों को लटकाये रखने की नीति सीधे तौर पर उत्तरदायी है। भारतीय कार्यसमिति माँग करती है कि केन्द्र सरकार को इस विवाद में बिना विलम्ब तथा प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप करना चाहिए। समिति का मत है कि मजदूरी बोर्डों की सर्वसम्मत सिफारिशों को वैधानिक मान्यता दी जाये और मजदूरी बोर्डों का गठन इस प्रकार किया जाय जिससे उन्हें सामूहिक सौदे का विकल्प मंच बनाया जा सके।

भारतीय कार्य समिति बैंक कर्मचारियों द्वारा बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक की धारा ३६ ए० डी० तथा धारा ५४ ए० ए० के विरुद्ध चलाये जा रहे संघर्ष में अपने समर्थन को दोहराती है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के निर्माण के अवसर पर भारतीय कार्यसमिति सुझाव देती है कि भारत सरकार को सभी आर्थिक हितों के प्रतिनिधियों का एक गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए जो आगामी पाँच वर्षों के लिए राष्ट्रीय आय नीति तथा राष्ट्रीय मूल्य नीति का निर्धारण करे।

भारतीय कार्यसमिति केन्द्र तथा राज्यों के कर्मचारियों और सरकारी तथा गैरसरकारी उद्योग धन्धों में लगे हुए मजदूरों को आश्वासन देती है कि जनसंघ उनकी समस्याओं का हल करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहेगा और उनसे अपील करती है कि वे उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने में पूर्ण सहयोग दें तथा अपने कर्तव्य का प्रामाणिकता और अनुशासित ढंग से पालन करें जिससे राष्ट्र को आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी तथा समृद्धिशाली बनाने का लक्ष्य शीघ्र पूरा किया जा सके।

दिल्ली प्रशासन के प्रति केन्द्र सरकार का भेदभाव

(भारतीय कार्यसमिति द्वारा पारित प्रस्ताव)

भारतीय कार्य समिति इस बात पर अपना क्षोभ एवं चिन्ता व्यक्त करती है कि जनसंघ द्वारा संचालित दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली नगर निगम के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपनाये हुए है, दिल्ली के मामलों में लगातार तथा अनावश्यक हस्तक्षेप कर रही है तथा दिल्ली महानगर परिषद् और कार्यकारी परिषद् को प्राप्त संवैधानिक अधिकारों में भी कटौती करने

के लिए सतत् प्रयत्नशील है। यह सब इसलिए किया जा रहा है कि दिल्ली प्रशासन और नगर निगम दिल्ली की जनता की सेवा करने का प्रभावी साधन न बन सकें। १९६६ में दिल्ली नगर निगम के आर्थिक मामलों की जाँच करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त गोपाल रेड्डी कमीशन ने आम चुनाव से ठीक पहले १९६७ के आरम्भ में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। अन्य सिफारिशों के साथ प्रतिवेदन में यह भी सिफारिश की गई थी कि वर्षों पुराने आर्थिक कुप्रबन्ध से उत्पन्न संकट पर पार पाने के लिए दिल्ली नगर निगम को तत्काल दो करोड़ रुपये का ऋण दिया जाये। परन्तु जब केन्द्र सरकार की अपेक्षा के विरुद्ध १९६७ के निर्वाचन में नगर निगम में जनसंघ को बहुमत प्राप्त हुआ तो केन्द्र ने यह रिपोर्ट अचानक वापिस ले ली और नगर निगम की आर्थिक अवस्था की जाँच के लिए अप्रैल-मई, १९६७ में श्री मोरारका की अध्यक्षता में एक नया कमीशन नियुक्त कर दिया। जनसंघ के नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण फैसले की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया तथा आग्रह किया कि मोरारका कमीशन की रिपोर्ट आने तक कम से कम एक तदर्थ अनुदान की व्यवस्था की जाय। परन्तु केन्द्र सरकार ने यह प्रार्थना भी ठुकरा दी।

दिल्ली वक्फ बोर्ड का गठन और प्रबन्ध कानून के अनुसार दिल्ली प्रशासन की जिम्मेदारी है। परन्तु गत वर्ष जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने कार्यकारी परिषद् के परामर्श अनुसार नये वक्फ बोर्ड का गठन किया तो केन्द्र सरकार ने हस्तक्षेप करके सूची रद्द कर दी और अपनी नई सूची तैयार करके नियुक्तियां कीं। जिस प्रकार महानगर परिषद् के एक मुसलमान जनसंघ सदस्य का नाम सूची से हटाये जाने पर जोर दिया गया था, उससे ऐसे प्रश्नों पर केन्द्र सरकार का ओछा तथा पक्षपातपूर्ण रवैया साफ हो गया।

दिल्ली प्रशासन अधिनियम के अनुसार स्थानीय स्वायत्त शासन दिल्ली की कार्यकारी परिषद् को हस्तान्तरित किया गया एक विषय है। नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी स्वायत्त शासन विभाग के अधीन एक स्थानीय निकाय है। प्रशासन के सूत्र संभालने के बाद जनसंघ, नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी के काम को सुधारने और उसे जनमत के प्रति सजग बनाने के लिए प्रयत्न करता रहा। परन्तु सहयोग देने के बजाय केन्द्रीय सरकार हर स्तर पर अनावश्यक हस्तक्षेप करके रोड़े अटकाती रही। वित्त सदस्य की नियुक्ति के सम्बन्ध में हाल में ही जो विवाद उठा है वह इस हस्तक्षेप का ज्वलंत उदाहरण है। नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी के सदस्यों के नामांकन को सुरक्षित विषय घोषित करके केन्द्र सरकार ने अपने इरादों को निरावरण कर दिया है।

केन्द्र सरकार के भेदभावपूर्ण और दलगत रवैये के ये केवल कुछ ही प्रमुख उदाहरण है। इस पर भी जनसंघ बड़े संयम से काम लेता रहा है। कांग्रेस के केन्द्रीय नेताओं को यह नहीं भूलना चाहिए कि जनसंघ को यह स्थान जनता के विश्वास से प्राप्त हुआ है और वह दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम को जनता की भलाई और सेवा की दृष्टि से चलाने के लिए दृढ़ संकल्प है। जनसंघ दिल्ली प्रशासन तथा नगर निगम को केन्द्र सरकार का दुमछल्ला नहीं बनने देगा। भारतीयकार्य समिति आशा करती है कि केन्द्र सरकार के जो नेता दलगत स्वार्थ से ऊपर उठकर चल सकते हैं, स्थिति को समझेंगे तथा दिल्ली प्रशासन के साथ केन्द्र के सम्बन्धों का इस प्रकार संचालन करेंगे कि परस्पर टकराव की स्थिति पैदा न हो।